न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम – सह– विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0, शिवहर
उपस्थित– श्री महेश कुमार
वाद संख्या– एस0सी/एस0टी0 शिवहर– 09/2017
सरकार बनाम दिग्विजय सिंह एवं अन्य
CNR No. - BRSO01-000066-2017

FORM-A

IN THE COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I-cum-SPECIAL JUDGE, S.C./S.T. SHEOHAR

Present:- Sri Mahesh Kumar

(Date of Judgment:- 11.08.2026)

SC/ST - 09/2017, CNR No.- BRSO01-000066-2017

F.I.R. No.:- 09/2017

Offence:- 341/34,323/34, 324/34, 504/34, 354/34 of I.P.C & 3 (i) (r), 3 (i) (s), S.C./S.T. (P.O.A) Act 1989 Amendment Act 2015

Police Station :- Sheohar SC/ST , District- SHEOHAR.

COMPLAINANT	सुखारी राम, पिता– राजीनंद राम, ग्राम– रेजमा, थाना+जिला– शिवहर।
REPRESENTED BY	विद्वान विशेष लोक अभियोजक, श्री गणेश पटेल
ACCUSED	1. मृत्युन्जय सिंह, पिता– स्व0 महेश्वर सिंह, ग्राम– मोहम्मदपुर बलमी, थाना– मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर, उम्र– 46 वर्ष 2. दिग्विजय सिंह, पिता– स्व0 रामेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम– मोहम्मदपुर बलमी, थाना– मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर, उम्र– 53 वर्ष 3. विरेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता– स्व0 कामेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम– मोहम्मदपुर बलमी, थाना– मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर, उम्र– 72 वर्ष
REPRESENTED BY ACCUSED PERSONS	विद्वान अधिवक्ता, श्री प्रभात कुमार

FORM-B

Date of offence	05.03.2017
Date of F.I.R.	07.03.2017
Date of Chargesheet	C.S. 05/2019 Dated 13.01.2019
Date of Framing Charges	23.12.2022
Date of Commencement of Evidence	12.01.2023
Date of which judgment is reserved	01.08.2026
Date of judgment	11.08.2026
Date of the Sentencing order, if any	N.A.
Date of Amalgamate to Record	N.A.

11.08.2026.

Accused Details

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offence Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of Detention during Trial for purpose of section 428 of Cr.P.C.
01.	मृत्युन्जय सिंह	12.10.2020	12.10.2020	भा0द0वि0 की धारा–	दोषमुक्त		
02.	दिग्विजय सिंह	12.10.2020	12.10.2020				

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम – सह– विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0, शिवहर
उपस्थित– श्री महेश कुमार
वाद संख्या– एस0सी/एस0टी0 शिवहर– 09/2017
सरकार बनाम दिग्विजय सिंह एवं अन्य
CNR No. - BRSO01-000066-2017

03.	विरेन्द्र प्रसाद सिंह	12.10.2020	12.10.2020	341/34, 323/34, 506/34, एवं 3 (i) (r) 3 (i) (s) 3 (2) (va) अनु0 जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम			

FORM-C

LIST OF PROSECUTION/DEFENSE/COURT WITNESS

A. Prosecution :

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
01.	कुन्दन कुमार सिंह	अभियोजन साक्षी संख्या 01

B. Defence Witness, if any ; -NIL

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)

C. Court Witness, if any ;-NIL

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)

11.08.2026.

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURTS EXHIBITS

A. PROSECUTION;-

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
1.	प्रदर्श–पी.1/पी. डब्लू 01	सुखारी राम के लिखित आवेदन पर साक्षी कुन्दन कुमार सिंह का हस्ताक्षर

B. DEFENCE ; NIL

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम – सह– विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0, शिवहर
उपस्थित– श्री महेश कुमार
वाद संख्या– एस0सी/एस0टी0 शिवहर– 09/2017
सरकार बनाम दिगविजय सिंह एवं अन्य
CNR No. - BRSO01-000066-2017

C. COURT EXHIBITS ; NIL

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION

D. MATERIAL OBJECTS ;

SR. NO.	MATERIAL OBJECT NUMBER	DESCRIPTION

निर्णय

1. उपरोक्त नॉमित अभियुक्तगण का भा0द0वि0 की धारा– 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 एवं 3 (1) (r), 3 (1) (s), 3 (2) (va)अनु0 जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विचारण किया गया।

2. अभियोजन का मामला सूचक सुखारी राम के दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में यह है कि " दिनांक 05.03.2017 रोज रविवार को मैं दिगविजय सिंह, मृत्युजंय सिंह, विरेन्द्र प्रसाद के खेत में सरसों उखाड़ रहा था तभी दिन के समय 10 बजे दिगविजय सिंह, मृत्युजंय सिंह, विरेन्द्र प्रसाद ग्राम– मोहम्मदपुर बलमी, थाना–मोतीपुर, जिला– मुजफ्फरपुर अपना खेत देखने आये जो कुन्दन कुमार सिंह के बगल में था। उनलोगों मुझसे बातचीत किया तो मैनें उनसे पूछा मालिक जमीन बेच लिये आप अपना इसी पर दिगिविजय सिंह मुझे कहने लगे साला चमार बिलार तुम कौन होता है पूछने वाला और गाली–गलौज करना शुरू कर दिये। उसके बाद मृत्युंजय सिंह एवं विरेन्द्र प्रसाद सिंह भी आकर मुझे लात मुक्का से मारने लगे, उसके बाद दूसरे छोर पर बैठे कुन्दन कुमार सिंह एवं हरिमोहन सिंह आकर मुझे बचाकर शिवहर सदर अस्पतॉल लाये जहॉ पर मेरा ईलाज हुआ। सूचक के लिखित आवदेन पर प्राथमिकी अनु0 जाति एवं जन जाति शिवहर थाना कांड संख्या 09/2017 अंतर्गत भा0द0वि0 की धारा– 341, 323, 504, 34 भा0द0वि0 3 (i) (r), 3 (i) (s), 3 (2) (va) अनु0 जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंकित किया गया। "

3. अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या 05/2019 दिनांक 13.01.2019 को न्यायालय में समर्पित किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.01.2020 को अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा– 341,323,504,506/34 एवं 3 (1) (r) (s), 3 (2) (va) अनु0 जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लिया गया तथा वाद विचारण हेतु निजी संचिका में रखा गया।

11.08.26

4. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण 1. मृत्युन्जय सिंह, 2. दिग्विजय सिंह एवं 3. विरेन्द्र प्रसाद सिंह के विरूद्ध दिनांकः– 23.12.2022 को भा0द0वि0 की धारा– 341/34, 323/34, 324/34, 504/34 एवं 3 (i) (r), 3 (i) (s), 3 (2) (va) अनु0 जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोपों का गठन कर उसे हिन्दी में पढ़ कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तों ने लगाये गये आरोपों से इंकार किया तथा वाद विचारण का दावा किये।

5. न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2026 को अभियोजन साक्ष्य बंद कर उपरोक्त अभियुक्तगण का धारा–313 द्र0प्र0स0 का बयान दिनांक 26.05.2026 को कलमबद्ध किया गया। जिसमें अभियुक्तगण ने सफाई में अपने को निर्दोष बताया। वाद में दिनांक 04.06.2026 को सफाई साक्ष्य बंद करके, बहस पर दिनांक 10.06.2026 को नियत किया गया।

6. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न है कि "क्या अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित कर पाने में सफल रहा है अथवा नहीं?"

7. इसके बाद अभियोजन के तरफ से मात्र एक साक्षी का साक्ष्य कराया गया। जो निम्न प्रकार हैः–

अभियोजन साक्षी संख्या 01 कुन्दन कुमार सिंह

8. **अभियोजन साक्षी संख्या – 01 कुन्दन कुमार सिंह जो कि पक्षद्रोही साक्षी है ने** अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि " घटना के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। दारोगा ने मेरा बयान नहीं लिया था। सुखारी राम के लिखित आवेदन पर यह मेरा हस्ताक्षर है। जिसे मैं पहचानता हूँ। कुन्दन कुमार सिंह के हस्ताक्षर को प्रदर्श– पी.1 /पी.डबलू. 01 अंकित किया जाता है। मुदालहगण अगर न्यायालय में उपसिति रहते तो देख कर पहचान लेते। "

11.08.26.

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि " सुखारी राम के लिखित आवेदन पर क्या बातें लिखी गई थी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। दारोगा जी बोले की हस्ताक्षर कर दो उस वक्त कागज सादा था। इस वाद के मुदालहगण मेरे रिश्तेदार इसलिये पहचानते है। "

9. अभियोजन की ओर से अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो निम्न प्रकार हैः–

प्रदर्श–पी.1/पी.डब्लू 01 सुखारी राम के लिखित आवेदन पर साक्षी कुन्दन कुमार सिंह का हस्ताक्षर

10. बचाव पक्ष की ओर से अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य और न ही मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

11. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि अभियोजन के ओर से प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतः सफल रहा है। अतः उन्हें विधितः दंडित किया जा सकता है।

12. प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं होते है। अतः अभियुक्तगण को झूठे लांछन से मुक्त करते हुए दोषमुक्त किया जाये।

13. उभयपक्षों को सुना। अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का अवलोकन किया जिससे विदित होता है

मन्तव्य

14. अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में दिनांक–23.12.2022 को उपर्युक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–भा0द0वि0 की धारा– 341/34,323/34, 324/34, 504/34, 354/34 of I.P.C & 3 (i) (r), 3 (i) (s), S.C./S.T. (P.O.A) Act 1989 Amendment Act 2015 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया। तत्पश्चात इस वाद के अभियोजन के सभी साक्षियों पर दिनांक–16.03.2023, एस0आर0 नं0–271–275 के द्वारा साक्ष्य हेतु सम्मन निर्गत किया। फिर दिनांक–27.06.2023, डब्लु0आर0 नं0–455–457 के द्वारा सभी अभियोजन साक्षियों पर साक्ष्य हेतु जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। जिसका तामिला दिनांक–24.04.2024 को प्राप्त व संलग्न है। इसके बावजूद भी अभियोजन के तरफ से कोई साक्षी साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुआ। तब न्यायालय द्वारा दिनांक–03.12.2024, मेमो नं0–421–425 के द्वारा अभियोजन के सभी साक्षियों के विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। जिसका तामिला दिनांक–01.07.2025 को प्राप्त व संलग्न है। इसके बाद अभियोजन के तरफ से मात्र एक साक्षी कुन्दन कुमार सिंह का साक्ष्य कराया गया, जो अभियोजन के तरफ से ही पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन को पर्याप्त समय देने के बाद भी अभियोजन द्वारा मात्र एक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जो पक्षद्रोही है। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, विवेचनों के आलोक में न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेहो से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

14.08.2026

आदेश

8. उपरोक्त नामित **अभियुक्तगण 1. मृत्युन्जय सिंह, 2. दिग्विजय सिंह एवं 3. विरेन्द्र प्रसाद सिंह को भा0द0वि0 की धारा–** 341/34,323/34, 324/34, 504/34, 354/34 of I.P.C & 3 (i) (r), 3 (i) (s), S.C./S.T. (P.O.A) Act 1989 Amendment Act 2015 के अंतर्गत पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सन्देह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हें उनके बंध–पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित, शुद्ध एवं संशोधित
Mahesh Kumar

(महेश कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम, सह
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0
शिवहर।
दिनांकः–10.08.2026

Mahesh Kumar.

(महेश कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0
शिवहर।
दिनांकः–10.08.2026